I/48440/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh

सत्यमेव जयते

F. No.: 9-HRC020/2023-CHA **Dated: July, 2023**

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ 160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषयः- Diversion of 15.0147 ha. (14.626 Ha. in Mewat Division and 0.3886 ha. in Palwal Forest Division) of forest land for construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission line in Distt. Mewat & Palwal, Haryana. (online Proposal No. FP/ HR/TRANS/145806/2021)-reg

संदर्भ(i)State Government letter no. FCA/e-950610/790 on dated 21.06.2023.

(ii)अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकारकेपत्रक्रमांक D-III-10360/568 दिनांक 05.06.20233.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **08.05.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारी (FCA), पंजाब सरकार पत्र संख्या FCA/e-950610/790 on dated 21.06.2023**(ऑनलाइन पोर्टल)** द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **15.0147** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी ।

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिकनहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Jhimrawat Section 4&5 of PLPA in Firozepur Jhirka Range and Tigaon Section 4&5 of PLPA in Tehsil-Punhana, District-Nuh-Mewat(मेवात वन मंडल), व degraded वन भूमिम Tumsara Link Drain RD 0-Tail, L&R in Range-Hodal, District-Palwal(पलवल वन मंडल), में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्तधनराशि सेकिया जायेगा|**

iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Jhimrawat Section 4&5 of PLPA in Firozepur Jhirka Range and Tigaon Section 4&5 of PLPA in Tehsil-Punhana, District-Nuh-Mewat(मेवात वन मंडल), व degraded वन भूमिम Tumsara Link Drain RD 0-Tail, L&R in Range-Hodal, District-Palwal(पलवल वन मंडल), में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्तधनराशि सेकिया जायेगा|**

v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए |

vi. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA)क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |**

vii. **DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA site (sites) को नहीं बदला जाएगा।**

viii. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी।**

ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा |

x. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए रास्ते के अधिकार "की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर **67** मीटर होगी |

xi. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए **7.0** मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी | परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा |

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष**/Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

xii. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम **9.0** मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |

xiii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |

xiv. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लगत परपक्षियों को तारो से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल परट्रांसमिशन लाइन के उपरी कन्डक्टर पर पक्षी डिफ़्लेक्टर(Bird deflectors) लगाएगी |

xv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

xvi. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xvii. प्रयोक्ता एजेंसी वन क्षेत्रों में से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु दिशा-निर्देशिका Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification, 2019) के Chapter 10 के तहत जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करेगी|

xviii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

xix. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लगत पर पक्षियों को तारो से टकराने से बचाने के लिय उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कंडक्टर पर पक्षी दिफ़्लेक्टर (Bird deflector) लगाएगी |

xx. FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन का प्रमाण सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा |

xxi. सम्बंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आवश्कतानुसार जमीन पर सीमांकित किया जाएगा |

xxii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा|

xxiii. इस अनुमोदन के तहत डायवर्सन की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में की जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना का कार्यकाल, जो भी कम हो, के साथ सहमीयादी (Co-terminus) होगी |

xxiv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xxv. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xxvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxvii. सक्षम प्राधिकारी अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन संतोषप्रद नहीं है| राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |

xxviii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। ***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी ।***

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय
-sd-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 13-07-2023 17:13:55

प्रतिलिपि:-

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

I/48440/2023

1. वनमहानिरीक्षक(ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली । (ramesh.pandey@nic.in).
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(pccf-hry@nic.in).
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com).
4. वन मण्डल अ ति-कारी, वन मण्डल और सिजला-मेवात एवं पलवल, हरिर्या ाणा|
5. Sh. Poonam Chand, SDO, HVPN Const, District: Gurgaon, Haryana. (sdohvpnggm@gmail.com)
6. The Sr. General Manager, Sikar -Ii Aligarh Transmission Limited (A 100% wholly Owned Subsidiary Of Powergrid Corporation Of India Limited), Plot No-339, Shanti Kunj Scheme, Alwar (Rajasthan).(kanchan@powergrid.in)